निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 1014) पटना बृहस्पतिवार 20 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
14 अगस्त 2026

एस० ओ० 195 दिनांक 20 अगस्त 2026––श्रम सहिताओं के प्रावधानों को दिनांक–21.11.2025 के प्रभाव से लागू किये जाने के उपरांत श्रम संहिताओं के अंतर्गत निरीक्षण योजना को अधिसूचित किया जाना है।

मजदूरी संहिता, 2019, की धारा 51(2) एवं 51(3) में निरीक्षण योजना से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 122 (2)(3) एवं (4) तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 की धारा 34 (3)(4) में भी संहिता के प्रयोजनार्थ निरीक्षण योजना का सूत्रण किये जाने से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं।

विभिन्न श्रम संहिताओं के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के आलोक में निम्न मापदण्ड के अनुरूप निरीक्षण योजना होगी :–

1. कंप्यूटरीकृत जोखिम मूल्यांकन के आधार पर निरीक्षित किये जाने वाले प्रतिष्ठानों की सूची Random आधार पर चिन्हित कर निरीक्षण हेतु निरीक्षक–सह–सुकारक भेजा जाएगा।
2. निरीक्षण योग्य प्रतिष्ठानों की सूची में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत निबंधित प्रतिष्ठानों (कारखाना सहित) एवं विभिन्न श्रम संहिताओं के अन्तर्गत निबंधित प्रतिष्ठानों को सम्मिलित कर डाटाबेस तैयार किया जायेगा एवं सामान्यतः इन्हीं प्रतिष्ठानों की सूची से Random selection हेतु आधार बनाया जायेगा।
3. निरीक्षण करने के 24 घंटे के अंदर, फ़ोटो, रीडिंग, सीरियल नंबर और कैलिब्रेशन के सबूतों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड किया जायेगा।
4. उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर लॉग–इन करने और अपने व्यवसायों से संबंधित जमा की गई निरीक्षण रिपोर्ट को देखने तथा डाउनलोड करने की सुविधा होगी।
5. निरीक्षण प्रणाली में यह अनिवार्य होगा कि कोई भी निरीक्षक, किसी एक ही प्रतिष्ठान का निरीक्षण लगातार दो बार न करे।
6. सभी उद्योगों/स्थापनाओं/कारखानों में किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा बिना श्रमायुक्त, बिहार के पूर्वानुमति के एकल निरीक्षण नहीं किया जाएगा।
7. मुख्यालय द्वारा Random selection के आधार पर प्रत्येक माह में निरीक्षण किए जाने वाले उद्योगों/स्थापनाओं/कारखानों की सूची संबंधित पदाधिकारियों एवं नियोजक को ई–मेल/ पोर्टल के

माध्यम से 72 घंटे पूर्व अवगत कराई जाएगी तथा इसकी एक प्रति ईमेल के माध्यम से संबंधित सहायक श्रमायुक्त, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, उप श्रमायुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक को दी जायेगी।

8. संयुक्त दल में संबंधित क्षेत्र के श्रम अधीक्षक, कारखाना निरीक्षक तथा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी शामिल होंगे और एक ही भ्रमण में सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संयुक्त दल का समन्वय तथा नेतृत्व कारखानों के मामले में कारखाना निरीक्षक तथा अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में संबंधित श्रम अधीक्षक करेंगे।
9. कारखानों के मामले में कारखाना निरीक्षक, श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संयुक्त जाँच दल में शामिल होंगे एवं गैर कारखानों के मामलें में श्रम अधीक्षक, संबंधित श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी एवं नजदीकी प्रखण्ड के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी शामिल होंगे। संयुक्त जाँच दल के लिए न्यूनतम 02 सदस्य होना अनिवार्य होगा।
10. श्रमायुक्त, बिहार किसी निरीक्षक–सह–सुकारक को उसके निर्धारित क्षेत्राधिकार के बाहर भी निरीक्षण हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे।
11. वैसे प्रतिष्ठानों, जिनमें वाष्पित्र सयंत्र अधिष्ठापित हों, वैसे प्रतिष्ठानों के संयुक्त निरीक्षण दल में अनिवार्य रूप से संबंधित वाष्पित्र निरीक्षक को भी शामिल किया जायेगा।
12. निरीक्षण प्रणाली के लिए MIS Report download करने का प्रावधान होगा एवं ऐसा रिपोर्ट श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग अपने combinations के अनुरूप प्राप्त कर सकेगा।
13. निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रपत्र में ही निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण प्रपत्र श्रम संहिताओं के अन्तर्गत नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार अलग से अधिसूचित होगा।
14. उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 की धारा–34(4)(C) के प्रावधानों के अपेक्षानुसार किसी गंभीर प्रकृति के मामले, सहयोग पोर्टल, समाधान पोर्टल, विभाग में प्राप्त हुए अन्य जन शिकायत, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवाद अथवा किसी अन्य स्त्रोंत से प्राप्त होने की स्थिति में सभी मामलों में श्रमायुक्त, बिहार की पूर्वानूमति से ही ऐसे मामले में अलग से निरीक्षण की कार्रवाई की जा सकेगी।
15. उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 की धारा–34(4)(a) के प्रावधानों के अपेक्षानुसार सभी प्रतिष्ठान को एक यूनिक नंबर दिया जायेगा, जो संहिता की धारा–3 के अन्तर्गत निबंधित प्रतिष्ठानों को दिया गया है। इसी प्रकार सभी निरीक्षक–सह–सुकारकों एवं निरीक्षण किये जाने वाले प्रतिष्ठानों को भी एक यूनिक नंबर दिया जायेगा।
16. निरीक्षण के उपरांत पाये गये उल्लंघनों के लिए संबंधित पदाधिकारी मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
17. निरीक्षण के बाद निरीक्षण टिप्पणी नियोजक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 24 घंटे के अंदर नियोजक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा नियोजक इस निरीक्षण के विरुद्ध श्रमायुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील कर सकता है।
18. नियोजक के अनुपालन की जाँच सहायक श्रमायुक्त और उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा की जाएगी, जो निरीक्षित कुल प्रतिष्ठानों की संख्या के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह जाँच भी संयुक्त रूप से की जायेगी, संयुक्त जाँच दल में सहायक श्रमायुक्त, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं एक श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी का चयन उनमें से किया जायेगा कि जो मूल निरीक्षण में शामिल नहीं थे।
19. जाँच संबंधी अभिलेख एवं प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारियों के पहुँच के योग्य होंगे।
20. निरीक्षण योजना के अन्तर्गत निरीक्षक से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित निरीक्षक–सह–सुकारकों से होगा।
21. निरीक्षक–सह–सुकारक किसी प्रतिष्ठान से विभिन्न श्रम संहिताओं एवं संबंधित नियमावलियों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में लिखित सूचना एवं अभिलेखों की मांग कर सकेगा।
22. उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 की धारा–34(4)(b) के प्रावधानों के अपेक्षानुसार निरीक्षण टिप्पणी को ऑनलाइन जमा करने के बाद उसका अनुपालन विभागीय या निरीक्षण पोर्टल पर प्रतिष्ठान–वार प्रदर्शित होगा, जिसे नियोजक तथा श्रमिक दोनों देख सकें।
23. कंप्यूटरीकृत जोखिम मूल्यांकन में प्रयुक्त मानदंडों जैसे उद्योग का प्रकार (hazardous/non-hazardous), श्रमिकों की संख्या, पूर्व अनुपालन इतिहास, दुर्घटना रिकॉर्ड, शिकायतों की संख्या को High/Medium/Low Risk तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर निरीक्षण पोर्टल पर प्रकाशित किया जा सकता है।

24. Low Risk के प्रतिष्ठानों के मामले में स्व–अभिप्रमाणन, Medium Risk के मामले में तृतीय पक्ष प्रमाणन तथा High Risk प्रतिष्ठानों के मामले में निरीक्षण की कार्रवाई निरीक्षक–सह–सुकारकों के द्वारा कराई जा सकेगी।
25. किसी प्रतिष्ठान में उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार कोई गंभीर दुर्घटना या व्यावसायिक रोग की सूचना मिलने पर उस प्रतिष्ठान का risk score स्वतः High में परिवर्तित हो जाएगा और अगले 30 दिन में निरीक्षण अनिवार्य हो जाएगा।
26. जिन प्रतिष्ठानों ने पूर्व के निरीक्षण में लगातार 3 बार अनुपालन किया हो, उनका जोखिम स्कोर स्वतः कम हो जायेगा और वे Green Channel में आ जाएँ, जहाँ निरीक्षण की आवृत्ति कम होगी।
27. निरीक्षण प्रपत्र में एक "Facilitation Section" जोड़ा जाएगा, जिसमें निरीक्षक यह दर्ज करेंगे कि उसने प्रतिष्ठान को कौन सी जानकारी/सहायता प्रदान की। यह section दंडात्मक अनुभाग से पृथक होगा।
28. जोखिम के आधार पर प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण एवं उनमें निरीक्षण संबधी विनियमन श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जायेगा।
29. शिकायत पर निरीक्षण के संबंध में सुनिश्चित हो कि शिकायतकर्ता/श्रमिक यदि अपना पहचान गुप्त रखना चाहता है, तो किसी भी परिस्थिति में नियोजक को सूचित नहीं किया जायेगा।
30. High Risk प्रतिष्ठानों के मामले में बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण का विकल्प श्रमायुक्त के अनुमोदन से उपलब्ध होगा।
31. कंप्यूटरीकृत आवंटन के साथ–साथ निरीक्षक से यह घोषणापत्र लिया जाएगा कि उसका आवंटित प्रतिष्ठान से कोई व्यक्तिगत आर्थिक हित नहीं है। यदि ऐसा हो, तो वह स्वयं आवंटन परिवर्तन हेतु आवेदन कर सके।
32. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जिलावार, उद्योग–वार, जोखिम श्रेणी–वार निरीक्षण के aggregate statistics विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। इसमें अनुपालन दर, दोबारा निरीक्षण की संख्या, दंडात्मक कार्रवाई की संख्या आदि शामिल हों।
33. निरीक्षण योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, जनहित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न श्रम संहिताओं के अधीन किए जाने वाले निरीक्षणों को संयुक्त रूप से कराए जाने तथा आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विभागों/प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण किए जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।
34. विभाग के वेबसाइट पर एक चेकलिस्ट प्रकाशित किया जायेगा।

(सं०–01/Code on Wages-10-02/2026–194/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

14 अगस्त 2026

एस० ओ० 196 एस० ओ० 195 दिनांक 20 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं०–01/Code on Wages-10-02/2026–195/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 14th August 2026

SO 195 date 20 August 2026—Following the implementation of the provisions of the Labour Codes effective from November 21, 2025, an inspection scheme under these Codes is to be notified.

Sections 51(2) and 51(3) of the Code on Wages, 2019, contain provisions regarding the inspection scheme. Similarly, Sections 122(2), (3), and (4) of the Code on Social Security, 2020, and Sections 34(3) and (4) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, also provide for the formulation of an inspection scheme for the purposes of the respective Codes.

In light of the provisions contained in the various Labour Codes, the inspection scheme will adhere to the following criteria:

1. On the basis of computerized risk assessment, the list of establishments to be inspected will be identified on a Random basis, and an inspector-cum-facilitator will be sent for inspection.
2. In the list of establishments eligible for inspection, establishments registered under various Acts (including factories) and establishments registered under various Labour Codes will be included, and a database will be prepared; and generally, from the list of these very establishments, the basis for Random selection will be made..
3. Inspection reports should be uploaded within 24 hours of conducting the inspections with photos, readings, serial numbers, calibration proofs.
4. Users will have the facility to log in to the portal and view and download the submitted inspection reports related to their businesses.
5. In the inspection system, it will be mandatory that no inspector inspects the same establishment twice in a row.
6. In all industries/establishments/factories, no individual inspection will be carried out by any inspecting officer without the prior permission of the Labour Commissioner, Bihar.
7. By the Headquarters, on the basis of Random selection, in every month the list of industries/establishments/factories to be inspected will be informed 72 hours before to the concerned officers and employer through e-mail/portal, and a copy of this, through email, will be given to the concerned Assistant

Labour Commissioner, Deputy Chief Inspector of Factories, Deputy Labour Commissioner and Chief Inspector of Factories.

8. The joint team will include the Labour Superintendent, Factory Inspector, and Labour Enforcement Officer of the concerned area, and the inspection work under all labour Acts will be completed in a single visit. The coordination and leadership of the joint team will be done by the Factory Inspector in the case of factories, and by the concerned Labour Superintendent in the case of other establishments.
9. In the case of factories, the Factory Inspector, Labour Superintendent, and Labour Enforcement Officer will be included in the joint inspection team, and in the case of non-factories, the Labour Superintendent, the concerned Labour Enforcement Officer, and the Labour Enforcement Officer of the nearest block will be included. For the Joint Inspection Team, minimum 02 members being present will be mandatory.
10. The Labour Commissioner, Bihar, will be able to authorize any inspector-cum-facilitator for inspection even outside his fixed/prescribed jurisdiction.
11. In the case of establishments where boiler plants are installed, the concerned Boiler Inspector will also mandatorily be included in the joint inspection team for such establishments.
12. There will be a provision to download the MIS report for the inspection system, and the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department will be able to obtain such reports according to its own combinations.
13. Inspection by the inspection team will be carried out only in the inspection form. The inspection form will be separately notified in accordance with the provisions of the rules under the labour codes.
14. As required under the provisions of Section 34(4)(c) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, in cases of a serious nature, whether received through the Sahyog Portal, Samadhan Portal, other public grievances received in the department, complaints received from the Chief Minister's Office, or received from any other sources, separate inspection action in such cases can be taken only with the prior permission of the Labour Commissioner, Bihar.

15. As required under the provisions of Section 34(4)(a) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, a unique number will be given to all establishments, which has been given to the establishments registered under Section 3 of the Code. Similarly, a unique number will also be given to all Inspector-cum-Facilitators and to the establishments to be inspected.
16. For the violations found after inspection, the concerned officer will take action according to the provisions of the Wage Code, 2019, Industrial Relations Code, 2020, Social Security Code, 2020 and Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
17. After the inspection, the inspection note will be made available to the employer through electronic means within 24 hours and the employer can appeal against this inspection online before the Labour Commissioner.
18. Checking of the employer's compliance will be done by the Assistant Labour Commissioner and the Deputy Chief Inspector of Factories, which will not exceed five percent of the total number of establishments inspected. This checking will also be done jointly; the joint inspection team will include the Assistant Labour Commissioner, the Deputy Chief Inspector of Factories, and one Labour Enforcement Officer. The Labour Enforcement Officer will be selected from among those who were not involved in the original inspection.
19. Records and reports related to the checking will be accessible to senior officers.
20. Under the inspection scheme, "inspector" shall mean the Inspector-cum-Facilitators notified by the State Government under the provisions of the Code on Wages, 2019, the Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
21. The Inspector-cum-Facilitator may demand written information and records from an establishment regarding compliance with the provisions of the various labour codes and the related rules.
22. As required under the provisions of Section 34(4)(b) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, after the inspection report is submitted online, its compliance will be displayed establishment-

wise on the departmental or inspection portal, so that it can be viewed by both the employer and the workers.

23. The criteria used in computerized risk assessment — such as type of industry (hazardous/non-hazardous), number of workers, past compliance history, accident record, and number of complaints — can be classified into three categories, High/Medium/Low Risk, and published on the inspection portal.
24. Self-certification in the case of Low Risk establishments, third-party certification in the case of Medium Risk, and in the case of High Risk establishments, inspection can be carried out by Inspector-cum-Facilitators.
25. If information is received about a serious accident or occupational disease in any establishment under the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the risk score of that establishment will automatically change to High, and inspection will become mandatory within the next 30 days.
26. Establishments that have complied continuously in the last 3 inspections will have their risk score automatically reduced, and they will come under the Green Channel, where the frequency of inspection will be lower.
27. A "Facilitation Section" will be added to the inspection form, in which the inspector will record what information/assistance was provided to the establishment. This section will be separate from the punitive section.
28. The classification of establishments on the basis of risk and the regulation of inspections related to them will be separately notified by the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department.
29. Regarding inspection on complaint, it should be ensured that if the complainant/worker wants to keep his identity secret/hidden, then in any circumstance, the employer will not be informed.
30. In the case of High Risk establishments, the option of inspection without prior notice will be available with the approval of the Labour Commissioner.
31. Along with computerized allocation, a declaration will be obtained from the inspector stating that they have no personal financial interest in the allocated establishment. If this is the case, they may themselves apply for a change of allocation.

32. At the end of each financial year, district-wise, industry-wise, and risk-category-wise aggregate statistics of inspections shall be published on the department's website. This should include the compliance rate, number of re-inspections, number of punitive actions, etc.
33. Notwithstanding anything contained in the Inspection Scheme, the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department, keeping in view public interest or administrative necessity, may grant permission for the inspections to be carried out under the various Labour Codes to be conducted jointly, and for joint inspections to be conducted, as necessary, by establishing coordination with other concerned Departments/ Authorities.
34. A checklist will be published on the department's website.

(No. 01/Code on Wages-10-02/2026-194/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1014-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in